न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :— 02/2014
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.03.2014

प्रार्थी	बनाम	प्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर		1. खुमाराम पुत्र छोगाराम जाति सीरवी निवासी पिपलियाकलां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 पैराकार सरकार (प्रार्थीगण)
2 अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 07.06.2022**

तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बांसिया के खसरा नम्बर 220 रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम की भूमि खातेदार दिलीप कुमार पुत्र खुमाराम, कमलकिशोर पुत्र खुमाराम जातिगण सीरवी निवासी पिपलियाकलां एवं खसरा नम्बर 226 रकबा 65 बीघा किसम बारानी दोयम, श्री गोपाल के खातेदार दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त खसरा नम्बर 220 में से 01 खेजडी का बडा हरा पेड जिसका तना लगभग 10—11 फीट लम्बा अनुमानित वजन डालिया सहित 7—8 क्विंटल तथा खसरा नम्बर 226 में सं 01 खेजडी का छोटा हरा पेड जिसकी तना लगभग 6—7 फीट लम्बा अनुमानित वजन 50—60 किलो गैरसायल द्वारा बिना अनुमति से जेसीबी से उखडवाया गया हैं। काटे गये पेडो की गीली लकडी का अनुमानित वजन 7—8 क्विटंल एवं 50—60 किलो हैं जो सूखने पर कम हो सकता हैं। काटे गये पेडो की ग्रामवासी द्वारा शिकायत करने पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर काटी गयी लकडी को बहक राज्य सरकार को लेकर गैरसायल को मौके से लकडी नहीं हटाने हेतु पाबंद किया गया हैं। काटी गई लकडी पटवारी हल्का द्वारा श्री प्रेमसिंह चौधरी पुत्र घेवरराम जाति जाट, श्री सूरजसिंह पुत्र भवानीसिंह कोम राजपूत, बलदेवराम पुत्र दीपाराम कौम जाट, श्री मनोहर पुत्र गणेशराम कौम सरगरा, श्री राजूदास पुत्र देवीदास निवासीगण बांसिया की सुपुर्दगी में दी जाकर सुपुर्दगार को लकडी खुर्द बुर्द नहीं करने तथा सरकारी आदेश पर पुनः उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय मूल फर्द मौका फर्द सुपुदर्गी अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रेषित कर निवेदन हैं कि गैरसायल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर तथा लकडी के निलामी हेतु स्वीकृति प्रदान करावें ।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार रायपुर ने अपने जबाव में बताया कि प्रकरण से संबंधित भूमि में से पेडों को काटने के संबंध में परिवादी श्री राजूदास पुत्र देवीदास द्वारा पुलिस थाना रायपुर में प्राथमिकी संख्या 80 दर्ज करवाई। बहस एकतरफा समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् कुर्क सुदा लकड़ियों की निलामी की नियमानुसार कार्यवाही करें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध 200 रूपये का जुर्माना किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 220 रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम एवं खसरा नम्बर 226 रकबा 65 बीघा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थी के द्वारा नियम विरूद्ध हरे वृक्ष काटने पर 200 रू(अक्षरे दौ सौ रू) जुर्माना आरोपित किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राज्य कोष में जमा करावें एवं जब्त सुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी कर निलामी फर्द पेश करें। निलामी संबंधी समस्त कार्यवाही पृथक से की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)